न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अ संख्या : 17/534

संजय भट्ट आत्मज श्री शेलेष कुमार भट्ट जाति ब्राह्मण निवासी बून्दी हाल निवासी 103 गोयल कॉम्पलेक्स बोडक देव अहमदाबाद (गुजरात) ।

——अ

बनाम

1. द्वारका लाल आत्मज स्व0 श्री शिवरानारायण बिडला ।
2. मुकुट बिहारी आत्मज स्व0 श्री शिवनारायण बिडला जाति महाजन निवासीगण हाउस, खोजा गेट तहसील बून्दी जिला बून्दी ।
3. श्रीमती मोहनी बाई पुत्री स्व0 श्री शिवनारायण जी बिडला पत्नी श्री रामचन्द्र जाति म निवासी रतलाम (म0 प्र0) ।
4. श्रीमती सोहनी बाई पुत्री स्व0 श्री शिवनारायण जी बिडला पत्नी श्री सूरजमल जाति म निवासी भीलवाडा ।
5. श्रीमती मीना पुत्री स्व0 श्री शिवनारायण जी बिडला पत्नी श्री सम्पत जी जाति मा महाजन निवासी व्यावरा जिला राजगढ ।
6. जयदेव भट्ट आत्मज स्व0 श्री शेलेष कुमार भट्ट जाति ब्राह्मण निवी बून्दी हाल 601, कृष्णा अपार्टमेंट सी0डी0 बर्फी वचाला मार्ग, अन्धेरी वेस्ट मुम्बई – 400058 ।
7. भौमिक वासवदेव भट्ट आत्मज स्व0 श्री वासवदेव भट्ट जाति ब्राह्मण निवासी 19, सिल्वर सी एच एस लिमिटेड, सिल्वर पार्क, टीपीएक सेन्ट अपार्टमेट, 232, कॉलोराडा, यू0एस0ए0 80302 जरिये मुख्तार आम श्रीमती निशा देव भट्ट प वासवदेव भट्ट जाति ब्राह्मण निवासी आकार सोसायटी करनावटी पगरका के पीछे, अहमदाबाद (गुजरात) ।
8. श्रीमती निशा देव भट्टा पत्नी श्री वासवदेव भट्टा जाति ब्राह्मण निवासी आकार सो करनावटी पगरका के पीछे, जोधपुर अहमदाबाद (गुजरात) ।

——रे

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री अशोक गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।
3. श्री विनय सक्सेना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 6 से 8 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 24.0

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.10.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी के प्रस्तुत की गई है ।

के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद इस्तकरार हक मिलकियत व खातेदारी व दखलयाबी व दिलाने मुआवजा बाबत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वाग वादी के पूर्वज स्वर्गीय श्री ब्रह्मानन्द जी भट्ट की पूर्ण रूपेण वैयक्तिक सम्पत्ति है जिसमें किसी दूसरे का कोई हक व अधिकार नहीं है और उक्त बाग सरकारी लगान तथा जुवारे से मुक्त था । स्वर्गीय ब्राह्मनन्द जी ने वादी को गोद लेने के पश्चात् अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति दिनांक 23.04.1937 को वादी के पक्ष में वसीयत कर दिया । इस प्रकार ब्रह्मानन्द की मृत्यु के बाद उनके द्वारा छोडी गई समस्त चल –अचल सम्पत्ति का मालिका वादी बना । स्वर्गीय ब्रह्मनन्द जी के स्वर्गवास के पश्चात् उनकी चल व अचल सम्पत्ति का मालिक महकमा नजूल बून्दी द्वारा उनकी लडकी बाई जी बृजकंवर बाई को करार कर दिया था और वह वादग्रस्त बाग बृजकंवर के नाम पर दर्ज कर दिया । वादी ने बृजकंवर के विरूद्ध सिविल न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवा जिसमें बृजकंवर के स्थान पर वादी उत्तराधिकारी बना । वादी जब कुछ समय बाद बाहर से आया तो उसे मालूम हुआ कि उक्त भूमि पर प्रतिवादी शिवनारायण काबिज है और उक्त बाग में से कुछ भूमि दिनांक 24.07.1956 को उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के आदेशानुसार उसके खाते भी दर्ज हो चुकी है और इन्द्राजात खाता वाली भूमि के खसरा नम्बर 257/850, 257/851, 257/852, 257/853 कुल 04 किता की 04 बीघा 11 बिस्वा कायम किये गये हैं । जिलाधीश बून्दी ने प्रकरण में बाद में जॉच करके दिनांक 29.06.48 को उक्त बाग पर जो श्री शिवनारायण प्रतिवादी ने अनुचित रूप से अपने खाते बंधवा लिया था वह नाजायज करार देकर सरकार को उसने निरस्त करने की प्रतिवेदन भेजा जिस पर सरकार द्वारा श्री शिवनारायण प्रतिवादी नम्बर 1 का विवादग्रस्त आराजी खातेदारी खारिज करके उसको बेदखल करने के आदेश दिये जा चुके हैं जिसकी पालना अभी तक भी नहीं हुई है ।

3. अतः वादीग के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा वादी को नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में अंकित किया जावे तथा प्रतिवादी से मुआवजा दिलाया जावे ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.10.2017 के द्वारा दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर वादी का वाद खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.10.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. रेस्पोडेन्ट कम 6, 7 एवं 8 ने क्रॉस ऑब्जेक्शन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । प्रस्तुत प्रकरण में मृतक ब्रह्मानन्द जी के वादी शेलेष भट्ट सिविल न्यायालय द्वारा गोदपुत्र माने गये हैं और सिविल न्यायालय ने उक्त वसीयत को प्रमाणित माना है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 3, 4 व 5 का निर्णय एक साथ करने में त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वादी ने पूर्व में दीवानी न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया था जो डिक्री हुआ था बाद में अपील पेश होने पर सिविल न्यायालय ने उक्त वाद राजस्व न्यायालय के श्रवण योग्य माना गया था । दीवानी न्यायालय में

1353 में ही वाद प्रस्तुत कर दिया था इसलिए वाद अवधि मध्य है । वादग्रस्त आराजी के आदेश से प्रतिवादी शिवनारायण के खाते लगी थी उक्त आदेश को जिलाधीश बून्दी ने जॉच के पर कानूनी अनुचित व अनाधिकृत रूप से अपने खाते दर्ज करवा लिया जाना माना और इकरार को उक्त खातेदारी निरस्त करने हेतु प्रतिवेदन भेजा सरकार द्वारा उक्त मामले में प्रतिवादी कम 1 का विवादग्रस्त आराजी की खातेदारी खारिज करके उसको बेदखल करने के आदेश दिये जा चुके हैं वह निर्णय अंतिम हो चुका है । प्रतिवादी शिवनारायण व उनके वारिसान का उक्त भूमि में कोई हक एवं अधिकार नहीं है उनकी हैसियत एकमात्र अतिक्रमी की है जिससे वह बेदखली के अधिकारी हैं । वादी द्वारा निर्णय प्रदर्श– ए– 6 को माननीय राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार के समक्ष चुनौती दी हुई है जो अभी विचाराधीन है । अतः रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत कॉस आब्जेक्शन को स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2017 निरस्त फरमाया जावे तथा वादी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 6 से 8 को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी कम 1 से 5 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किये जाने का आदेश पारित किया जावे तथा अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट को नियमानुसार मुआवजा दिलाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपने अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी अपीलान्ट के गोदपिता मृतक ब्रह्मानन्द जी के खातेदारी की भूमि थी जिसमें किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व व आधिपत्य नहीं था । मृतक ब्रह्मानन्द जी ने अपने जीवनकाल में अपनी सम्पत्ति के सम्बन्ध में दिनांक 23.04.1937 को वादी शेलेष कुमार भट्ट के पक्ष में वसीयत निष्पादित कर दी । उक्त वसीयत नामे के जरिये वसीयतकर्ता ने उसकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति मय उक्त बाग के अपना वसीयती उत्तराधिकारी वादी को घोषित कर दिया । मृतक ब्रह्मानन्द जी की मृत्यु के पश्चात् उनकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति का मालिक महकमा नजूल बून्दी द्वारा उनकी पुत्री बृजकंवर बाई को करार कर दिया था और वह सम्पत्ति कोर्ट ऑफ वार्डस के अन्तर्गत ले ली गई थी और इसी वजह से उनकी अचल सम्पत्ति जिसमें विवादग्रस्त बाद भी बाई जी बृजकंवर बाई के नाम दर्ज कर दिया गया था । वादी ने बृजकंवर के विरूद्ध सिविल न्यायालय में प्रकरण दर्ज करवा जिसमें बृजकंवर के स्थान पर वादी उत्तराधिकारी बना । वादग्रस्त आराजी के वर्तमान में नये अराजी खसरा नम्बर 295 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 296 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 297 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 298 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 299 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 300 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 294 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 301 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 302 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 303 रकबा 04 बिस्वा कुल 10 किता की 08 बीघा 08 बिस्वा कायम हुए हैं । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में एक प्रकरण माननीय राजस्व मंत्री महोदय के समक्ष भी विचाराधीन है जिसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रदर्श– ए–6 के निर्णय के आधार पर उक्त अपलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने अपने वाद को गवाह, बयान आदि से साबित किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 16.10.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 2000 आर. आर.डी. पेज 132, एआईआर 1976 पेज 41, 1984 आर.आर.डी. पेज 51, 2005 आरएलडब्ल्यू (2)

1159 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये और अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन

डेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में मृतक आनन्द जी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे । उक्त भूमि वर्ष 1942 से 1948 तक सिवायचक रही थी उसी दौरान कानूनी प्रकिया के द्वारा उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज की गई थी उक्त भूमि आवंटन/खातेदारी की भूमि है और वादी अपीलान्ट ने उक्त आवंटन आदेश को कभी चैलेंज नहीं किया उक्त आवंटन आदेश आज भी प्रभावी है । वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वादी अपीलान्ट ने उक्त वाद वर्ष 1973–74 में प्रस्तुत किया है जबकि उक्त भूमि पर आवंटन के बाद से ही रेस्पोडेन्ट काबिज काश्त हैं । प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली में संलग्न दस्तावेज प्रदर्श– ए– 6 दिनांक 19.04.1974 उपखण्ड अधिकारी बून्दी का निर्णय है जिसमें उन्होंने रेस्पोडेन्ट को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए उक्त निर्णय रेस्पोडेन्ट के उपर लागू नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.10.2017 बहाल रखा जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट क्रम 6, 7 एवं 8 ने क्रॉस ऑब्जेक्शन के तथ्यों को अपनी बहस में दोहराते हुए निवेदन किया कि क्रॉस आब्जेक्शन को स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2017 निरस्त फरमाया जावे तथा वादी अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 6 से 8 को वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी क्रम 1 से 5 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किये जाने का आदेश पारित किया जावे तथा अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट को नियमानुसार मुआवजा दिलाया जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या – 1' यह कायम की गई थी कि ' आया वादी एवं ब्रह्मानन्द भट्ट का भतीजा एवं दत्तक पुत्र है एवं स्वय भट्ट ने वादी के पक्ष में कोई वसीयत की थी यही यदि यह सत्य है तो इसका कानूनी प्रभाव क्या हैं' इस तनकी के संदर्भ में विस्तृत विवेचन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में किया गया है के अतिरिक्त दस्तावेजात के अवलोकन से हम निम्न विवेचन उक्त तनकी के बारे में निम्न प्रकार समायोजित करना चाहते हैं । इस संदर्भ में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के अवलोकन से यह तथ्य उजागर होते हैं कि वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद दो आधारों पर प्रस्तुत किया गया है । प्रथम तो वह स्वयं को मृतक ब्रह्मानन्द भट्ट का गोद पुत्र होना अंकित करता है, द्वितीय ब्रह्मानन्द की सम्पत्ति के सम्बन्ध में दिनांक 23.04.1937 को ब्रह्मानन्द द्वारा वसीयत उसके हक में किया जाना अंकित करता है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलान्ट द्वारा कराये गये समस्त मौखिक साक्ष्य में से किसी भी साक्ष्य द्वारा यह स्थापित नहीं किया गया है कि वादी अपीलान्ट को गोद लिये सम्बन्धी औपचारिकताएं यानि गिविंग टेकिंग सेरेमनी उनके समक्ष हुई थी एवं वह इ सके गवाह हैं जबकि वादी द्वारा ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना अपने कथन की पुष्टि में आवश्यक था । साथ ही वादी संदर्भित आराजीयात एवं अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में मृतक ब्रह्मानन्द द्वारा दिनांक 23.04.1937 को उसके ह क्मे वसीयत किया जाना अंकित करते हैं जिसके संदर्भ में संदर्भित वसीयत पत्र प्रदर्श – 1 का अवलोकन किया गया जो निम्न प्रकार है 'मारे खुलवास जी पारवती बाई मारा ठिकाना

अच्छा करया और मारा शरीर की बहौत नौकरी वा सेवा करी और करिया छ– याके भूषण वगैरह दिया व माने याकी मिनगत से बणायो जो वा या को मारे को भूषण छै जी दुरुस्त मने बनाकर और म्यारा दस्तखत वा छाप कर मन याके ताई दे दी जी पर थाको उजर व हक नहीं परवती बाई ही मालिक छै याकी इच्छा हो सो करे ऊ भूषण को और हत खर्च वास्त मौ जालौदा में से बौका रामगोपाल का खाता की जमीन का सासरी धूल्या खाता की जमीन याके ताई संवत् 1992 से कर दी जी छै याके यावत जीव माने ता जिन्दगी भर ही ऊ जमीन का मालिक वा मुख्तार छै काचित जमीन ऊपर मडी न थे राखो तो पारवती बाई को रूपया 684/– अंके छ सौ पचासी साल के साल बि ला उजर हत खर्च मै दे दी जो और पारवती बाई पर थाको हक नहीं यह बून्दी रहे या कोई और जगह रहे जहा ही रूप्ये 685/–दिया जाज्यो या मे थाको कोई हक नहीं मारी कहबौ यौ छ या के बाद कि याने माता मानज्यो और याका किया मुजिब दीज्यो यो मुख्तार नामो मन भारी राजी खुशी उक्ल हुशयारी से लिख दीनी कि मारे बाद वक्त जरूरत काम आये।'

13. उक्त संदर्भित दस्तावेज प्रदर्श – 1 जिसे वादी द्वारा वसीयतनामे की संज्ञा दी गई है, प्रथम तो मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर एक्जीबिट नहीं कराया गया है, द्वितीय उक्त दस्तावेज पर निष्पादितकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं, अतः ऐसे किसी पत्र को किसी दस्तावेज या वसीयतनामे की संज्ञा नहीं दी जा सकती अन्यथा भी संदर्भित लेख प्रदर्श– 1 की इ बारत से यह स्पष्ट होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी किसी सम्पत्ति के संदर्भ में मात्र किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्तार नियुक्त किया गया है क्योंकि इबारत स्वयं में शब्द मुख्तार का इस्तेमाल किया गया है । इसके अतिरिक्त विलेखकर्ता ने स्पष्ट रूप से उसमें अंकित किया है कि यदि उक्त जायदाद मुख्तार धारित व्यक्ति स्वयं रखना चाहे तो वह पारवती बाई को 685/– रूपये साल के साल बिना उजर के देगा । अतः उक्त लिखावट को वसीयतनामे की संज्ञा नही दी जा सकती एवं उक्त लिखाावट के माध्यम से वादी अपीलान्ट उक्त विलेख मे संदर्भित आराजीयात के संदर्भ में वसीयत सम्बन्धी अधिकार प्राप्त नहीं है । इसके अतिरिक्त उक्त विलेख में वाद में संदर्भित आराजीयात का कहीं विवरण अंकित नहीं है, जिससे स्पष्ट हो सके कि उक्त विलेख वाद में संदर्भित आराजीयात के संदर्भ में ही लिखा गया हो । जैसा कि ऊपर विवेचन किया गया है कि वादी द्वारा वाद प्रथम तो स्वयं को मृतक ब्रह्मानन्द का गोद पुत्र होना कह कर आते हैं साथ ही मृतक ब्रह्मानन्द की तथाकथित आराजीयात के संदर्भ में स्वयं के हक में मृतक ब्रह्मानन्द द्वारा वसीयत किया जाना अंकित करते हैं जो स्वयं में विरोधाभासी हैं क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को गोद लिया जाता है तो स्वतः ह वह गोद पिता की सम्पत्ति के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त कर लेता है उसे पृथक से वसीयत की आवश्यकता नहीं होती है जबकि उपरोक्त विवेचन से दोनो ही तथ्य वादी अपीलान्ट के हक में सिद्ध नहीं हुए हैं । जहॉ तक प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट के अधिकारों का प्रश्न है प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को प्रश्नगत आराजी का विधिवत आवंटन हुआ है क्यांकि दौराने आवंटन प्रश्नगत आराजी सिवायचक दर्ज थी । वादी द्वारा अपने वाद में यह भी कित किया है कि प्रश्नगत आराजी उनके द्वारा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को जरिये इकरारनामा प्रदर्श– 10 दिनांक 23.04.1950 को 05 वर्ष हेतु काश्त हेतु बताई थी, के संदर्भ में यह यहॉ स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि प्रश्नगत आराजी पर वर्ष 1950 से पूर्व वादी अपीलान्ट के कब्जे के सम्बन्ध में उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिससे यह जाहिर होता हो कि प्रश्नगत आराजी पर उनका कभी स्वत्व या अधिकार रहा हो । जिससे उनका यह कथन सत्य प्रमाणित नहीं होता है कि प्रश्नगत आराजी उनके द्वारा प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को काश्त हेतु बताई गई हो । जहॉ प्रदर्श– 2 न्यायालय सिविल जज बून्दी के समक्ष प्रस्तुत वाद के निर्णय का प्रश्न है वाद वादी द्वारा मुसम्मात बृजकंवर बाई के विरूद्ध मृतक भट्ट जी महाराज ब्रह्मानन्द जी की सम्पत्ति के सम्बन्ध में था जिससे विचाराधीन प्रकरण में उल्लेखित आराजीयात का कहीं उल्लेख ही नहीं किया गया है । अतः उक्त वाद एवं उसमें पारित निर्णय को प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को आवंटित

के संदर्भ में नहीं देखा जा सकता । ऐसी स्थिति में विचाराधीन प्रकरण में उक्त निर्णय का कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकात । इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श– ए–6 से ए–32 से प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 1 का उक्त भूमि पर वैधानिक रूप से खातेदार के बतौर काबिज काश्त होना साबित है इसके विपरीत मृतक ब्रह्मानन्द को वादग्रस्त भूमि में काई अधिकार प्राप्त नहीं थे ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में तनकी संख्या 1 एवं शेष तनकीयों के सम्बन्ध में तनकीवार किये गये विस्तृत विवेचन से वादी का वाद सिद्ध नहीं होने स सही तौर पर खारिज किया गया है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । रेस्पोडेन्ट कम 6, 7 एवं 8 द्वारा प्रस्तुत कॉस आब्जेक्शन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.10.2017 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 24.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील **संख्या : 17 / 534**

संजय भट्ट आत्मज श्री शेलेष कुमार भट्ट जाति ब्राह्मण निवासी बून्दी हाल निवासी सी– 103 गोयल कॉम्पलेक्स बोडक देव अहमदाबाद (गुजरात) ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. द्वारका लाल आत्मज स्व0 श्री शिवरानारायण बिडला ।
2. मुकुट बिहारी आत्मज स्व0 श्री शिवनारायण बिडला जाति महाजन निवासीगण बिडला हाउस, खोजा गेट तहसील बून्दी जिला बून्दी ।
3. श्रीमती मोहनी बाई पुत्री स्व0 श्री शिवनारायण जी बिडला पत्नी श्री रामचन्द्र जाति महाजन निवासी रतलाम (म0 प्र0) ।
4. श्रीमती सोहनी बाई पुत्री स्व0 श्री शिवनारायण जी बिडला पत्नी श्री सूरजमल जाति महाजन निवासी भीलवाडा ।
5. श्रीमती मीना पुत्री स्व0 श्री शिवनारायण जी बिडला पत्नी श्री सम्पत जी जाति माहेश्वरी महाजन निवासी व्यावरा जिला राजगढ ।
6. जयदेव भट्ट आत्मज स्व0 श्री शेलेष कुमार भट्ट जाति ब्राह्मण निवी बून्दी हाल निवासी 601, कृष्णा अपार्टमेंट सी0डी0 बर्फी वचाला मार्ग, अन्धेरी वेस्ट मुम्बई – 400058 ।
7. भौमिक वासवदेव भट्ट आत्मज स्व0 श्री वासवदेव भट्ट जाति ब्राह्मण निवासी 19, वृन्दावन सिल्वर सी एच एस लिमिटेड, सिल्वर पार्क, टीपीएक सेन्ट अपार्टमेट, 232, बोल्डर कॉलोराडा, यू0एस0ए0 80302 जरिये मुख्तार आम श्रीमती निशा देव भट्ट पत्नी श्री वासवदेव भट्ट जाति ब्राह्मण निवासी आकार सोसायटी करनावटी पगरका के पीछे, जोधपुर, अहमदाबाद (गुजरात) ।
8. श्रीमती निशा देव भट्टा पत्नी श्री वासवदेव भट्टा जाति ब्राह्मण निवासी आकार सोसायटी करनावटी पगरका के पीछे, जोधपुर अहमदाबाद (गुजरात) ।

——प्रत्यर्थी

आदेश एवं डिक्री दिनांक 16.10.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी

वाद संख्या: 174/दावा/2002

1. मृतक शेलेष कुमार उपनाम शिवानन्द दत्तक स्वर्गीय श्री ब्रह्मानन्द जी भट्टा ब्राह्मण निवासी बून्दी हाल अहमदाबाद जरिये कायममुकामान :–
   1/1. जयदेव भट्ट आयु 46 साल आत्मज श्री शेलेष कुमार भट्टा जाति ब्राह्मण निवासी बून्दी हाल निवासी 21 कृष्णा अपार्टमेंट, बर्फी वाला मार्ग अन्धेरी (वेस्ट) मुम्बई 400058
   1/2. संजय भट्ट आयु 38 साल आत्मज श्री शेलेष कुमार भट्ट जाति ब्राह्मण निवासी बून्दी हाल निवासी सी– 103 गोयल कॉम्पलेक्स बोडक देव अहमदाबाद (गुजरात) ।
   1/3. वासव देव भट्ट आयु 38 साल आत्मज श्री शेलेश कुमार भट्टा जाति ब्राह्मण निवासी बून्दी हाल निवासी 21 कृष्णा अपार्टमेंट, बर्फी वाला मार्ग अन्धेरी (वेस्ट) मुम्बई 400058
   1/4. श्रीमती भद्रदेवी आयु 68 साल विधवा श्री शैलेश कुमार भट्ट जाति ब्राह्मण निवासी बून्दी हाल निवासी 08 बरीज ऑप्टस लक्ष्मी सोसायटी लॉ गार्डन, एलिस बृज अहमदाबाद 380006

——वादी

बनाम

1. मृतक शिवनारायण आत्मज श्री बाबूलाल जाति महाजन निवासी बून्दी जरिये कायममुकामान :–
   1/1. द्वारका लाल आत्मज स्व0 श्री शिवरानारायण बिडला ।
   1/2. मुकुट बिहारी आत्मज स्व0 श्री शिवनारायण बिडला जाति महाजन निवासीगण बिडला हाउस, खोजा गेट तहसील बून्दी जिला बून्दी ।
   1/3. श्रीमती धापू बाई विधवा स्व0 श्री शिवनारायण जी बिडला जाति महाजन निवासी बिडला हाउस खोजा गेट बून्दी ।
   1/4. श्रीमती मोहनी बाई पुत्री स्व0 श्री शिवनारायण जी बिडला पत्नी श्री रामचन्द्र जाति महाजन निवासी रतलाम (म0 प्र0) ।
   1/5. श्रीमती सोहनी बाई पुत्री स्व0 श्री शिवनारायण जी बिडला पत्नी श्री सूरजमल जाति महाजन निवासी भीलवाडा ।
   1/6. श्रीमती मीना पुत्री स्व0 श्री शिवनारायण जी बिडला पत्नी श्री सम्पत जी जाति माहेश्वरी महाजन निवासी व्यावरा जिला राजगढ ।
2. श्री मोहन लाल आत्मज श्री छीतर मल जाति महाजन निवासी बाहरली बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी .के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.10.2017..की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 24.01.2017 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता एवं प्रत्यर्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक एवं रेस्पोडेन्ट कम 6 से 8 की ओर से अभिभाषक श्री विनय सक्सेना के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । रेस्पोडेन्ट कम 6, 7 एवं 8 द्वारा प्रस्तुत क्रॉस आब्जेक्शन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.10.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिक्री आज तारीख 24.01.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा